

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...459/2023

05.09.2023

आवेदक अरुण कुमार सिन्हा, पिता-स्व० इन्द्रदेव प्रसाद, साकिन-लोचनपुर, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
लोचनपुर	276	14	961	44 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्वर निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक ...12/...09.../2023 को प्रस्तुत करें।

05/09/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जनाबंदी की सत्यता की जाँच की गई एवं पाया गया कि:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया गया है:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नकित कागजात प्रस्तुत किया गया है:-

(1) 2/44 पत्र (11) आवेदन पत्र (M1) प्रमाण के द्वारा प्रमाणित

(12) 14/11/2014

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :-

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :-

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी सस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :- 46/17

[illegible]

हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर

राजस्व कर्मचारी

नाम—

हल्का संख्या-